(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 1, खड 1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1994
चैत्र, 19, शक 1916

संकल्प

स. 5(12)-संस्था. III/93. भारत सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे में हुए परिवर्तनों पर पिछले कुछ समय से विचार करती रही है। 1986 में पिछले वेतन आयोग द्वारा दी गई अपनी रिपोर्ट के समय से लेकर परिस्थितियों में अनेक तरह के परिवर्तन भी हुए हैं। तदनुसार 5वां केंद्रीय वेतन आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया गया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

(i) अध्यक्ष : न्यायमूर्ति एस.आर. पांडियन

(ii) सदस्य : प्रो. सुरेश तेंदुलकर

(iii) सदस्य-सचिव : श्री एम.के. काव

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :—

(क) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे और सेवा-शर्तों को संचालित करने वाले ऐसे सिद्धांत तैयार करना जो वित्तीय पहलुओं से संबंधित हों।

(ख) निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध समग्र लाभों को ध्यान में रखते हुए परिलब्धियों तथा सेवा शर्तों की वर्तमान संरचना की जांच करना और ऐसे परिवर्तनों का सुझाव देना जो वांछनीय और व्यवहारिक हों :—

(i) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी-औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक;

(ii) अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिक;

(iii) सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक;

(iv) संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिक; और

(v) भारत के उच्चतम न्यायलय तथा उच्च न्यायलय, दिल्ली के अधिकारी और कर्मचारी।

(ग) मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति लाभों सहित पेंशनभोगियों के लिए उपयुक्त पेंशन संरचना को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पेंशन संरचना की जांच करना और उनसे संबंधित ऐसी सिफारिशें करना जो वांछनीय और व्यवहारिक हों।

(घ) ऊपर उल्लिखित वर्गों के कर्मचारियों की कार्य प्रणाली और काम करने के वातावरण के साथ-साथ वेतन के अलावा, वर्तमान उपलब्ध भत्तों और वस्तु के रूप में लाभों की विविधता की जांच करना और प्रशासन में कार्य-कुशलता को बढ़ावा देने की दृष्टि से अनावश्यक कागजी कार्रवाई को कम करते हुए तथा सरकारी मशीनरी के आकार को अनुकूलतम बनाते हुए उन्हें युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण करने के सुझाव देना।

(ङ) अन्य सगत पहलुओं के साथ-साथ राज्य सरकारों आदि के अंतर्गत उपलब्ध वतन-ढांचे और सेवा-निवृत्ति लाभों तथा देश की आर्थिक परिस्थितियों, केंद्रीय सरकार के संसाधनों और आर्थिक और सामाजिक विकास, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा और सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंध की अपेक्षाओं के कार्यों पर मांगों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त के संबंध में सिफारिशें करना।

3. आयोग अपनी स्वयं की कार्यविधि तैयार करेगा और यह ऐसे सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जो वह किसी विशेष प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे। वह ऐसी सूचना मंगा सकता है और ऐसा साक्ष्य ले सकता है जो वह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग ऐसी सूचना और दस्तावेज़ तथा अन्य सहायता प्रदान करेंगे जो कि आयोग को आवश्यक हो। भारत सरकार को विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संस्थाएं और अन्य संबंधित पक्ष आयोग को अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।

4. आयोग जैसा भी व्यवहार्य हो, अपनी सिफारिशें शीघ्र करेगा। यदि आयोग आवश्यक समझ तो वह सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर रिपोर्ट देने पर विचार कर सकता है।

. . . . . .

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य सभी संबंधित पक्षों को भेज दी जाए।

के. वेंकटेसन

(के. वेंकटेसन)
सचिव, भारत सरकार